Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
Available online at : www.gisrrj.com
OPEN ACCESS
ISSN : 2582-0095
doi : https://doi.org/10.32628/GISRRJ

ब्रिटिशकालीन भारत में भू–राजस्व नीति

डॉ. श्रीकान्त वर्मा
पीएच. डी.,मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास विभाग

Article Info
Article History
Accepted : 30 July 2024
Published : 20 Aug 2024
Publication Issue :
Volume 7, Issue 4
July-August-2024
Page Number : 47-49

नई भूमि प्रणालियों (जमींदारी और रैयतवाड़ी) ने भूमि और किसान दोनों को गतिशील बना दिया, तथा साहूकार और अनुपस्थित जमींदार की शक्ति में वृद्धि के लिए रास्ता खुला छोड़ दिया।

– डी. एंड ए. थोर्नेर

साम्राज्यवादी अंग्रेजों ने भारतीय कृषि प्रणाली में बड़े पैमाने पर परिवर्तन किये। नवीन भूमि काश्तकारी पद्धतियाँ स्वमित्व, धारणाएं तथा सर्वाधिक भू–राजस्व की मांग ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ऐसे परिवर्तन किये जिससे सम्पूर्ण देश के कृषि क्षेत्र में हाहाकार मच गया तथा एक विकृत आधुनिकता सी आ गई।

ईस्ट इण्डिया कंपनी द्वारा नवीन भू–राजस्व प्रणाली की शुरूआत 1765 ई. में तत्कालीन भुगल सम्राट शाहआलम द्वितीय (1759–1806 ई.) से भू–राजस्व संचित करने का अधिकार बंगाल की दीवानी के साथ हुई । 1759 से 1760 ई. में तत्कालीन मुगल शासक के फरमान से कंपनी को संपूर्ण बंगाल प्रान्त की दीवानी प्राप्त हो गई। जैसे– कंपनी को मुगल सम्राट से सर्वप्रथम 24 परगने की जमींदारी उसके पश्चात बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव के भू–राजस्व के संचय का अधिकार मिला। 1764 ई. में बक्सर के युद्ध में विजय के पश्चात कम्पनी को 1765 ई. की इलाहाबाद की संधि (12 अगस्त 1765) से मुगल सम्राट शाहआलम द्वितीय द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई ।

युद्ध में विजय के पश्चात अंग्रेजों ने भारत के प्रशासन से सर्वाधिक लाभ उठाने का प्रयास किया। कंपनी के अधिकारी स्वतंत्र व्यापार में आस्था रखते थे इसलिए उन्होंने आयात तथा निर्यात कर से अधिक राजस्व प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी तथा राजस्व का मुख्य आधार भूमि कर ही बना रहा और उसी पर प्रमुखता से ध्यान दिया। अंग्रेजी कंपनी भारत को एक बड़ी जागीर मानते थे हालांकि उनका उद्देश्य यह था कि सर्वाधिक आय हेतु आर्थिक किराया लेने का प्रयत्न किया जाय, परिणामस्वरूप किसानों के पास मात्र कृषि व्यय तथा उनके श्रम की मजदूरी ही बचती थी। कंपनी ने भारत में विभिन्न प्रकार की भू–राजस्व पद्धति अपनायी –

1– स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी या जमींदारी व्यवस्था

2– रैयतवाड़ी व्यवस्था

3– महालवाड़ी व्यवस्था

Copyright © 2024 The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution **4.0 International License (CC BY-NC 4.0)**

1.स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था –

1784 ई. में पिट्स इण्डिया एक्ट में ईस्ट इंडिया कम्पनी को बंगाल में स्थायी भूमि बंदोबस्त करने की सलाह दी गयी । 1786 ई. में लार्ड कार्नवालिस (1786–1793 ई.) बंगाल का गर्वनर जनरल बनकर आया और इसी ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया। लगान व्यवस्था में सबसे बड़ा विवाद यह था कि जमींदारों को कर संग्रहकर्ता माना जाय या भूमि का स्वामी। इस विषय में सर जान शोर तथा जेम्स ग्रान्ट के विचार एक दूसरे के विरुद्ध थे । सर जान शोर जमींदारों को भूमि का स्वामी मानता था और उसके अनुसार वही लगान देने के वास्तविक अधिकारी थे। जबकि जेम्स ग्रांट के अनुसार समस्त भूमि सरकार की है तथा जमींदार मात्र संग्रहकर्ता से अधिक और कुछ नहीं। कार्नवालिस शोर के विचारों से सहमत था। 1790 ई. में सर्वप्रथम यह व्यवस्था 10 वर्षो के लिए लागू की गई लेकिन लार्ड कार्नवालिस दीर्घकालीन व्यवस्था के पक्ष में था। डाइरेक्टरो की अनुमति मिलने के बाद 22 मार्च 1793 ई. को इस 10 वर्षीय व्यवस्था को स्थायी कर दिया गया।

इस व्यवस्था में भूराजस्व को सदैव के लिए निर्धारित कर दिया गया। इस व्यवस्था में लगान का 10/11 भाग सरकार को 1/11 भाग जमींदारों को देना निश्चित किया गया। जमींदार लोगों को इससे बहुत लाभ हुआ क्योंकि उन्हें भूमि का स्वामी मान लिया गया। 1794 ई. में एक कानून बना जिसे सूर्यास्त कानून कहा गया। इसके अनुसार निर्धारित तिथि के सूर्यास्त के पहले जमींदार सरकार को लगान अदा नहीं करता तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। स्थायी बन्दोबस्त व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी एवं गाजीपुर क्षेत्र तथा उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्रों में लागू किया गया। इसके अन्तर्गत ब्रिटिश भारत के कुल क्षेत्रफल का 19 प्रतिशत भाग आता था।

2. रैयतवाडी व्वयस्था –

किसानो के साथ व्यक्तिगत रूप से किये गए लगान समझौते को रैयतवाड़ी कहा गया । इस व्यवस्था को टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग के क्षेत्रो में लागू की । यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक 51 प्रतिशत भू–भाग पर लागू की गई । इस व्यवस्था में जमींदारों से लगान वसूलने के बजाय गाँव के किसानों से लगान वसूला गया, जो भूमि के मालिक थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 ई. में पहली बार बारामहल जिले में कर्नल रीड द्वारा लागू किया गया। टॉमस मुनरो इस व्यवस्था का कट्टर समर्थक था।

3. महालवाड़ी व्वयस्था –

महाल शब्द से तात्पर्य है जागीर अथवा गाँव । महालवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता हाल्ट मैकेंजी थे जिन्होंने 1819 ई. में इस व्यवस्था का सूत्रापात किया । इस व्यवस्था में राजस्व व्यवस्था प्रत्येक गाँव या महाल के साथ स्थापित की गयी, किसानों के साथ नही । भूमि समस्त ग्राम सभा की सम्मिलित रूप से होती थी तथा ये लोग सम्मिलित रूप से भूमि कर देने के लिए उत्तरदायी थे । इस व्यवस्था में भू–राजस्व का निर्धारण समस्त ग्राम के उत्पादन के आधार पर निर्धारित किया जाता था। कंपनी ने रेग्यूलेशन 9 के द्वारा सिंधिया से 1804 ई. में विजित क्षेत्र प्राप्त किये जिसमें पानीपत, सहारनपुर, अलीगढ़ तथा आगरा जिले शामिल थे। यहाँ एक नई भू –राजस्व पद्धति आरम्भ की गई जिसे महालवाड़ी बन्दोबस्त कहा गया। 1822 ई. में रेग्यूलेशन 7 के द्वारा इस व्यवस्था को कानूनी रूप दे दिया गया। लगान की अदायगी केवल नकद की जानी थी। लेकिन भूमि अधिकार तथा लगान देने का अधिकार वंशानुगत माने गये किंतु भूमि सरकार के पास बंधक रख दी गयी। 1833 ई. में मार्टिन बर्ड तथा जेम्स टामसन के समय में यह व्यवस्था अपने सबसे अच्छे रूप में सामने आयी। इस व्यवस्था में पहली बार लगान तय करने के लिए मानचित्रों तथा पंजियो का

प्रयोग किया गया और यह भूमि योजना मार्टिन बर्ड के निर्देशन में तैयार की गई। इन्हे उत्तर भारत की भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक माना जाता है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रान्त और पंजाब प्रान्त आते थे जो ब्रिटिश भारत के 30 प्रतिशत भू–भाग पर लागू था।

संदर्भ ग्रन्थ सूची –

1. आर. सी. द : भारत का आर्थिक इतिहास
2. बी. एच. बेडेन पावेल : ब्रिटिश भारत की भूमि प्रणालियाँ
3. मारिस डी. मारिस : 19वीं सदी में भारतीय अर्थव्यवस्था : एक संगोष्ठी
4. एस. के. पाण्डे : आधुनिक भारत
5. बी. एल. ग्रोवर : आधुनिक भारत का इतिहास :एक नवीन मूल्यांकन
6. एरिक स्टोक्स : किसान और राज
7. एरिक स्टोक्स : अंग्रेजी उपयोगितावादी और भारत